

06.09.17 यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 207 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट वादी की ओर से श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वकील वादी को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.09.2017 को पेश हो।

19-9-17

वकील वादी उपर पत्रावली तलबी प्रतिवादीगण दि. 27.09.17 को पेश हो।

27-09-17

वकील वादी उपर पत्रावली तलबी प्रतिवादीगण दि. 11.10.17 को पेश हो।

11.10.17

वकील वादी उपर PO साहब आवकाश पर है नोटिस प्रतिवादी नं० 2 व 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं पत्रावली अन्य प्रतिवादीगण की प्रेषण तामील नहीं हुई है। पत्रावली आदेश दि. 30.10.17 को पेश हो।

30.10.17

वकील वादी उपर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 की ओर से एडव. दिलीप कुमार बेगोरिया ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं० 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। अतः उसके विरुद्ध अन्तरणा कार्यवाही की जाती है। परकारान ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा में अंकित किया गया है कि ख. नं० 654 रकबा 0.21 हे. स्थित ग्राम फुलवाड़ा में प्रतिवादी रामसहय हरिराम व नारायण के नाम रहन का इन्काज हराने में प्रतिवादी में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वाद वादी जरिये राजीनामा रिखी किया जाता है एवं ख. नं० 654 रकबा 0.21 हे. ग्राम फुलवाड़ा में दर्ज "राहिन रामसहय हरिराम

PTO

रामसाहय
नारायण
हरिराम
पुस्तकालय
जयपुर
301001


तारीख
हुक्म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नाम्बर
आदकाय
हुक्म को
में जा

मासामण पि जमराम मीना मुर्तलिन सां देह" को टुफ
क्रिया जाता है। इसी अनुसार राजस रिक्कार्ड में दुरुही
की जावे। पचा ठिकी जारी हो। राजीनामा निर्णम
का गुज पोरशन रहेगा।

पत्रावली कैसलशुमार होकर नमूने कम
हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखगार
हो।


सहायक कलेक्टर
एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट
गंगधुर सिन्धी (स०मा०)